कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32 के परिशिष्ठ 1 के अन्तर्गत गठित पदौन्नति समिति द्वारा निम्नलिखित सहायक प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद की वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्व चयनोपरान्त अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद की पे. मेट्रिक लेवल एल–11 में पदोन्नत कर उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

इन पदौन्नत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को नवपदस्थापित स्थान पर दिनांक 28.02.2020 तक कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा, कार्यग्रहण अवधि में किसी प्रकार की वृद्वि नहीं की जावेगी। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष,संस्था प्रधान इनको अविलम्ब कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करेगे। जो अधिकारी पदोन्नति का परित्याग करना चाहते है सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाप्रधान उनसे लिखित में पदौन्नति परित्याग का आवेदन पत्र प्राप्त करें, आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में दिनांक 28.02.2020 तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अधिकारियों का स्वतः ही पदोन्नति से परित्याग मानते हुए परित्याग का इन्द्राज कार्मिक की सेवापुस्तिका में लाल स्याही से अंकित करते हुए इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से <u>दिनांक 01.03.2020 तक</u> ई मेल sogad2019@gmail.com पर प्रेषित करेगे।

क्र स	वरिष्ठता क्रमांक	नाम	वर्ग	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदौन्नति पर पदस्थापन स्थान	चयन तिथि
1	419	गुमानचन्द जैन	सामान्य	20-07-61	राउमावि रेणी, अलवर	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय.) माध्यमिक, अलवर	01-02-20
2	422	दशरथ तिवाडी	सामान्य	01-02-61	राउमावि अजीतगढ, सीकर	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)प्रारम्भिक, सीकर	01-02-20
3	423	ताराचन्द पाठक	सामान्य	22-02-61	राउमावि राजपुरा, टोंक	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय.) माध्यमिक टोंक	01-02-20
4	424	बृजमोहन सैनी	सामान्य	01-01-61	राउमावि भिवाडी, तिजारा अलवर	डाईट, अलवर	01-02-20

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1) कार्मिक/क–2/95 दिनांक 8.4.2003 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान नहीं होने का शपथपत्र स्वप्रमाणित प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण करवाये। किसी कार्मिक के विरूद्व विभागीय जांच विचाराधीन हो, जिससे पदोन्नति पर प्रभाव पडता हो उन्हे कार्यमुक्त नही करे एवं इस कार्यालय को तत्काल सूचना प्रेषित करे।

(सौरभ स्वामी)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/डीपीसी/अति.प्रशा.अधि./2019–20/148 दिनांक – 20.2.2020

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
2– सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
3– सम्बन्धत जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक
4– कार्यालयाध्यक्ष/प्रधानाचार्य, डाईट अलवर
5– सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
6– सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाप्रधान
7– सम्बन्धित अधिकारी
8– गार्ड पंजिका

उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर